

UPBJ180007252019



न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 2, नगीना बिजनौर।

फौजदारी वाद सं० - 279/2019, मु०अ०सं०- 68/2019

सरकार बनाम टीकम

धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम

थाना- बढापुर, बिजनौर।

बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 251 द०प्र०सं०

नाम- टीकम पिता का नाम- रतिराम उम्र - 50 वर्ष
पेशा- मजदूरी निवासी- ग्राम कुजैटा
थाना- बढापुर जिला- बिजनौर।

प्रश्न-1 यह कि आप पर अभियोग है कि दिनांक 23.03.2019 को समय 23:10 बजे बहद स्थान कुजैटा तिराहा कस्बा बढापुर अंतर्गत थानाक्षेत्र बढापुर, बिजनौर में आप टीकम को थाना हाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब की खाम बरामद की गयी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर-

प्रश्न-2 क्या आप विचारण चाहते हैं ?

उत्तर-

प्रश्न-3 क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं ?

उत्तर-

प्रश्न-4 क्या आपको और कुछ कहना है ?

उत्तर-

सुनकर तस्दीक किया ।

मेरे द्वारा स्वयं अंकित किये गये।

(असगर अली-द्वितीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 2
नगीना, बिजनौर।

28.05.2024